कलेक्टर ने बालिका गृह एवं वन स्टॉप सेंटर का किया औचक निरीक्षण

नवभारत न्यूज

ग्वालियर20 जुलाई। कलेक्टर रुचिका चौहान ने सोमवार देर शाम जयारोग्य अस्पताल परिसर स्थित वन स्टॉप सेंटर एवं बालिका गृह का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने महिला हेल्पलाइन-181 के लंबित प्रकरणों के शीघ्र

लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, बालिकाओं की निर्बाध शिक्षा और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने के दिए निर्देश

निराकरण, बालिकाओं की शिक्षा किसी भी परिस्थिति में प्रभावित न होने तथा दोनों संस्थानों में सुरक्षा एवं स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ऑनलाइन पोर्टल पर महिला हेल्पलाइन-181 के दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की। समय-सीमा के भीतर प्रकरणों का निराकरण नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए शेष सभी लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सेंटर में निवासरत महिलाओं से चर्चा कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी भी ली।

बालिका गृह के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सभी बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी बालिका की शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए तथा उनके अध्ययन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। कलेक्टर ने बरसात के मौसम को देखते हुए भवन में सीलन, गंदगी एवं अन्य असुविधाओं की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करते हुए उन्होंने कैमरों के आसपास पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए, ताकि निगरानी व्यवस्था प्रभावी बनी रहे। साथ ही उन्होंने दोनों संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ रखने पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, उपासना राय, सहायक संचालक राहुल पाठक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कलश यात्रा के लिए महिलाओं को बांटी साड़ी, कोयला वाले हनुमान पर कथा कल से

नवभारत न्यूज

ग्वालियर20 जुलाई। मोतीझील स्थित श्रीचिंताहरण कोयला वाले हनुमान मंदिर पर 22 जुलाई से कथा आरंभ होगी। कथा से पूर्व इसी दिन सुबह 11 बजे पौ वाले बाबा बायपास से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी,जिसमें महिलाएं पीले साड़ी पहनकर शामिल होंगी। सोमवार को 251 महिलाओं को कलश यात्रा के लिए पीली साड़ियां बांटी गईं।

कार्यक्रम संयोजक प्रेम बरौनिया ने बताया कि हर वर्ष की भांति कोयला वाले हनुमान पर मंदिर के पुजारी संतोष भैया के सानिध्य में यह आयोजन होने जा रहा है। कथा व्यास श्रीधाम वृंदावन के पं. शरद कुमार शास्त्री होंगे। 22 जुलाई को कथा आरंभ होगी और 23 जुलाई को कथा स्थल पर कन्या विवाह आयोजित किया जाएगा।

24 को ध्रुव चरित्र, 25 को समुद्र मंथन, श्रीकृष्ण जन्म 26 श्रीकृष्ण बाल लीला, 27 को रुक्मिणी विवाह, 28 को सुदामा चरित्र के साथ कथा विश्राम होगा एवं 29 को हवन पूर्णाहुति एवं भण्डारा होगा।

संगीत संध्या में झूमा शहर, गायकों ने बिखेरा सुरों का जादू

ग्वालियर 20 जुलाई. तानसेन की नगरी ग्वालियर में रविवार को लीजेंड्स म्यूजिकल ग्रुप द्वारा एक भव्य संगीत संध्या का आयोजन किया गया। शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने सदाबहार फिल्मी गीतों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य शहर की समृद्ध संगीत परंपरा को आगे बढ़ाना और नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना था। आयोजन में बबलू भौंसले,बालकिशन डागोर, सुनील शर्मा, लोकेश गोले, रेनू शर्मा, मनोज वर्मा, श्वेता अग्निहोत्री सहित दर्जनों कलाकारों ने अपनी सुरीली आवाज से समां बांधा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक सिंह जादौन, वंदना भूपेंद्र प्रेमी और डी.सी. तिवारी उपस्थित रहे। मंच संचालन लोकेश गोले ने किया, जबकि आयोजन को सफल बनाने में सौरभ सोनी, जयेश दुबे और कमल किशोर की विशेष भूमिका रही। अंत में डॉ. प्रभात कृष्ण शर्मा ने आभार व्यक्त किया। देर रात तक चले इस कार्यक्रम की दर्शकों ने जमकर सराहना की।

जिले में खनिज पदार्थों के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई जारी

ग्वालियर, 20 जुलाई. ।जिले में खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने सोमवार रात्रि मेहरा टोल एवं बिजौली क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान खनिज गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए दो ट्रोला (22 चक्का) वाहन पकड़े गए, जिन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया गया।

प्रभारी खनिज अधिकारी घनश्याम यादव ने बताया कि जब्त किए गए दोनों वाहनों को खनिज सामग्री सहित संबंधित थाना परिसर की अभिरक्षा में रखा गया है। प्रकरण में नियमानुसार अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनिज गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

युवा उद्यमी और विकसित भारत 2047

भारत 2047 में अपनी स्वाधीनता की 100 वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। उस समय आज की यह पीढ़ी रहेगी न रहेगी किंतु युवा पीढ़ी तो रहने ही वाली है। आज की युवा पीढ़ी को लेकर चिंतन होता है तो कई आशंकाओं का जन्म भी होता है लेकिन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर भारतीय युवाओं की उपलब्धियां को देखकर विश्वास जाग जाता है कि हम विकसित भारत 2047 की बात कर ही रहे हैं लेकिन ये युवा तो भारत को 2047 से पूर्व ही विकसित बना लेंगे।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधारो के माध्यम से राष्ट्र को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाए जाने का संकल्प मन में तो है किंतु इस संकल्प को मूर्त रूप देने का सामर्थ्य भी विकसित करना होगा। देश की लगभग 65% आबादी युवा है जो अपनी उर्जा, नवाचार, कौशल के दम पर बड़े परिवर्तन का नेतृत्व कर सकती है। स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के साथ ही मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण), मुख्यमंत्री विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना (मशीनरी और प्रोजेक्ट पर 25% सब्सिडी) जैसी योजनाएं युवाओं को मदद कर रही हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सिविल सेवाओं में जाना है तो 50 हजार से लेकर 1 लाख तक की वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन बैकलॉग उम्मीदवारों को दिया जाता है। औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ के बजट के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लाई गई जिसका पंजीयन 31 जुलाई 2027 तक खुला हुआ है। इसका लक्ष्य 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित करना, जिसमें 1.92 करोड़ पहली बार कार्यबल (वर्कफोर्स) में शामिल होने वाले युवा शामिल हैं।

यह बात सत्य है कि योजनाएं सभी के लिए लागू होती है किंतु लाभ कुछ ही लोग ले पाते हैं। जब युवाओं के मन में कुछ करने की ललक और रुचि होगी तो वे सक्रियता दिखाकर जानकारी प्राप्त कर लेंगे, कौशल भी विकसित कर लेंगे और प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लेंगे। पुरानी कहावत भी है कि शेर को भी भोजन के लिए परिश्रम करना पड़ता है इच्छा करने से नहीं उद्यम करने से सफलता मिलती है। कहां गया है – 'उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ।न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः' आज भारत में ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी भारतीय युवाओं की सफलता की कहानियां मन में गौरव का भाव जगा देती हैं। अमेरिका में सिलिकॉन वैली में सुंदर पिचाई (गूगल) सत्य नाडेला (माइक्रोसॉफ्ट) बड़े नाम है किंतु उनके साथ ही अनेको युवा अरबों डॉलर की यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाकर रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे कई उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिले हैं। पिछले दिनों ही मध्य प्रदेश के इंदौर में एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 40 हजार करोड़ के निवेश के माध्यम से 34 हजार रोजगार सृजन की बात रखी जो मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेगी यहां डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, आईटी पार्क, एनिमेशन आदि पर बड़ा कार्य होगा। यहां भविष्य में कई युवा उद्यमी खड़े हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब विदेशी दौरे से लौटकर आते हैं तो ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों का उल्लेख 'मन की बात' एपिसोड और अपने संबोधनों में करते हैं ।उनके वक्तव्यों में युवाओं के लिए बार-बार यही बात निकल कर आती है कि 'रोजगार लेने वाले' नहीं अब 'रोजगार देने वाले' भी बनना पड़ेगा। स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से विद्यार्थियों को केवल डिग्री तक सीमित न करके तकनीकी कौशल, डिजिटल साक्षर और व्यवहारिक ज्ञान से युक्त बनाया है। विश्वविद्यालयों के उद्योग उन्मुक्त पाठ्यक्रमों के माध्यम से इंटर्नशिप और वर्क इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग पर जोर दिया गया है। युवाओं की सफलता की ऐसी कहानियां केवल महानगरों या आईटी सेक्टर तक सीमित नहीं बल्कि ग्रामीण भारत और कृषि- पशुपालन आदि क्षेत्रों की भी सामने आई है। ज्ञानेश पांडे (चंपारण बिहार) के द्वारा 'हस्क पावर सिस्टम' धान के छिलके द्वारा गांव को सस्ती और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जिसमें सैकड़ो छोटे ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा मिला। कनिका ताल्लुकदार (असम) द्वारा गोबर व फसल के कचरे से जैविक खाद्य का उत्पादन कर लाखों रुपए की कमाई हुई और अनेक ग्रामीण महिलाओं को भी मुफ्त ट्रेनिंग दी गई।

विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों जैसे कृषि, निर्माण ,आईटी, सेवा क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए विशिष्ट शैक्षिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों में रुचि और आवश्यकता अनुसार युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं लेकिन युवाओं को अपने मन की आशंका को हटाना पड़ेगा। युवाओं के लिए असफलता अंत नहीं बल्कि सीखने का पहला प्रयास (First attempt in Learning- FAIL) होनी चाहिए। 'विंग्स आफ फायर' नामक आत्मकथा में भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं कि सफलता की कहानी मत पढ़ो उससे केवल एक संदेश मिलेगा असफलता की कहानी पढ़ो इससे तुम्हें सफल होने के कुछ विचार और मार्ग मिलेंगे। आज के युवाओं के समक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष अनुसंधान और डिजिटल साक्षरता में प्रवीण होकर आगे बढ़ाने के बड़े-बड़े अवसर हैं। ध्यातव्य है कि कृषि उत्पादन फिर औद्योगीकरण की प्रक्रिया में भी युवाओं को छोटे रोजगार मिलना आवश्यक है। एक तो युवा वर्ग कार्यबल से जुड़कर व्यावसायिक कौशल प्राप्त करता है दूसरा उनके परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ाने के साथ ही आजीविका सुरक्षित होती है। स्थानीय अर्थव्यवस्था के पहिए की गति को तेज करने वाले ऐसे युवा आगे चलकर बड़े व्यापार के बड़े जोखिम भी उठा सकते हैं।

विकसित भारत 2047 के दूरगामी लक्ष्य को उद्यमी, परिश्रमी, नवाचार युक्त और लक्ष्य प्रेरित युवाओं द्वारा ही प्राप्त किया जा सकेगा। वे ही इसके प्रवक्ता, संवाहक और नेतृत्वकर्ता बनेंगे। आधुनिक सिंचाई, जैविक खेती, मृदा परीक्षण, ग्रीन हाउस प्रबंधन, कृषि व्यवसाय, वेल्डिंग, रोबोटिक, ऑटोमेशन, मशीन संचालन, गुणवत्ता नियंत्रण, औद्योगिक प्रशिक्षण, बैंकिंग, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल मार्केटिंग, आतिथ्य प्रबंधन,नर्सिंग, पैरामेडिक्स इनके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा,डेटा विज्ञान, ऑनलाइन कोर्सेज, कंप्यूटर आदि जाने कितने अर्थव्यवस्था के आयाम और क्षेत्र सुयोग्य और प्रशिक्षित युवाओं की बाट जोह रहे हैं। अब युवाओं को अपना मन पक्का करना है। यह बात ठीक है कि कई बार युवा वर्ग को लग सकता है कि शासन व्यवस्था उनकी विशिष्ट समस्याओं के प्रति उदासीन है तो उनकी नाराजगी प्रकट होना स्वभाविक हो जाती है। राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ संगठन और समूह ऐसी स्थिति को तूल देकर अराजकता और हिंसापूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ युवा ऐसी स्थिति में भटक भी जाते हैं इसलिए नेतृत्वकर्ताओं को भी ऐसी स्थितियों में युवाओं की भावनाओं का सम्मान कर समस्याओं पर उनके सुझाव लेकर स्थायी समाधान की ओर बढ़ना चाहिए।

निष्कर्षत: युवाओं को मन में आ रही अनिश्चितताओं, कुसंगति के कारण उत्पन्न कुंठाओं ,डिजिटल दिखावटी दुनिया के कारण अशांति व अकेलेपन, सिनेमाजनित अवास्तविक जीवन शैली की कल्पना, अत्यधिक अपेक्षाओं के कारण मानसिक दबाव, दूसरों से तुलना के कारण हीनग्रंथि आदि का परित्याग करके सकारात्मक ,सार्थक, अर्थपूर्ण जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। आज संसाधनों की कमी और अवसरों के अभाव का रोना हम नहीं रो सकते क्योंकि ऐसी स्थिति है ही नहीं। हमें स्वामी विवेकानंद के सपनों का युवा बनना है जो गहरी राष्ट्रभक्ति, चरित्र की पवित्रता ,असीम साहस और फौलादी इरादों वाला होगा जो अपने साथ-साथ अपनों के मन में विश्वास भरेगा और विभिन्न आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में अपने पुरुषार्थ से उत्पादकता, उपयोगिता और उन्नति को बढ़ाएगा। यही युवा विकसित भारत 2047 का संवाहक बनेगा।

डॉ हरिशंकर कंसाना
समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना,जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उत्तर मध्य रेलवे

पत्र सं.: JHS/Commercial/E-Auction/2026/177 दिनांक: 16.07.2026

ई-नीलामी सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य), उत्तर मध्य रेलवे, झांसी द्वारा निम्न दी गयी श्रेणियों के अनुसार ई-नीलामी आमंत्रित की जाती है :-

श्रेणी: पार्किंग | **केटलोग संख्या:** झाँसी-पार्किंग-63

एसेट्स डिटेल्स: झाँसी मंडल के अलग-अलग श्रेणी के रेलवे स्टेशनों में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के पार्किंग ठेके हेतु:-

क्र.सं.	स्टेशन/केटेगरी	स्टेशन/स्थान	ई-नीलामी प्रारम्भ की तिथि व समय	ई-नीलामी समाप्त की तिथि व समय
1	एनएसजी-2	ग्वालियर पश्चिम	दिनांक 03.08.2026 को समय- 12:00 से	दिनांक 03.08.2026 को समय- 12:30 तक

नोट- उक्त ठेकों के आवंटन हेतु नीलामी केवल ऑनलाइन वेवसाइट- **www.ireps.gov.in** के **e-auction module** के माध्यम से की जाएगी। लॉट अनुसार विवरण उपर्युक्त केटलॉग संख्या के अंतर्गत उपलब्ध है। **1641/26(A)**

North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ग्वालियर-सिटी, जिला-ग्वालियर, म.प्र.

प्रकरण क्रमांक-0001/अपील/2026-27

गोपाल सिंह पुत्र श्री रामचरण व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम बिठौली, तहसील मुरार,जिला ग्वालियर म.प्र.

-- अपीलांट्

बनाम

1. रामभरोसे पुत्र रामप्रसाद आयु वर्ष, जाति बघेल व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम महाराजपुरा परगना व जिला ग्वालियर म.प्र., 2. दामोदार पुत्र रामप्रसाद आयु वर्ष, जाति बघेल व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम महाराजपुरा परगना व जिला ग्वालियर म.प्र., 3. सीताराम पुत्र रामप्रसाद आयु वर्ष, जाति बघेल व्यवसाय- कृषि निवासी ग्राम महाराजपुरा परगना व जिला ग्वालियर म.प्र., 4. श्रीमती रामबेटी पुत्री रामप्रसाद आयु वर्ष, जाति बघेल व्यवसाय कृषि निवासी-गणेश कॉलोनी पिंटो पार्क ग्वालियर, 5. श्रीमती रामदेही पुत्री रामप्रसाद आयु वर्ष, जाति बघेल व्यवसाय कृषि निवासी गणेश कॉलोनी पिंटो पार्क ग्वालियर म.प्र., 6. श्रीमती लीलावती पुत्री रामप्रसाद आयु वर्ष, जाति बघेल व्यवसाय कृषि निवासी गणेश कॉलोनी पिंटो पार्क ग्वालियर, 7. नारायणी पुत्री रामप्रसाद आयु वर्ष, जाति बघेल व्यवसाय-कृषि निवासी ग्राम महाराजपुरा परगना व जिला ग्वालियर म.प्र.

आवश्यक प्रतिअपीलाथीगर्ण

8. हाकिम पुत्र सालिगराम, 9. रामचरण पुत्र हरविलास, 10. चंदना पुत्र कलुआ, 11. डरुआ पुत्र बल्देव, 12. रामदयाल पुत्र, नकटू, 13. रघुवर पुत्र नकटू, 14. लक्ष्मण पुत्र महाराज सिंह, 15. महेन्द्र पुत्र लक्ष्मण सिंह,

प्रतिअपीलार्थी क्रमांक 08 लगायत 15 निवासीगण :-ग्राम बिठौली परगना व जिला ग्वालियर म.प्र

....औपचारिक प्रतिअपीलार्थीगण

// सूचना पत्र //

एतद् द्वारा जरिये सूचना पत्र समस्त आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि अपीलांट गोपाल सिंह पुत्र श्री रामचरण व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम विठौली, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर म.प्र. की ओर से अभिभाषक श्री अमील अहमद द्वारा ग्राम बिठौली की नामांतरण पंजी क्रमांक 05/19.08.2017 में पारित आदेश दिनांक 14.09.2017 के विरुद्ध म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो इस न्यायालय में प्रकरण क्रमांक-0001/अपील/2026-27 पर पंजीबद्ध होकर प्रचलित है, जिसमें सुनवाई हेतु आगामी दिनांक 05.08.2026 नियत की गई है।

अत: नियत दिनांक को रेस्पोडेंटस् अथवा अन्य जो भी इस प्रकरण में अपने आपको हितधारी समझता हो, स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के द्वारा न्यायालयीन समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन करें। नियत तिथि को उपस्थित न होने की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय आदेश कर प्रकरण में सुनवाई कर आदेश पारित कर दिया जावेगा तत्पश्चात किसी भी व्यक्ति की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

यह सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से आज दिनांक 16.07.2026 को जारी किया गया ।

अनुविभागीय अधिकाधिकारी
ग्वालियर सिटा ग्वालियर-सिटी

आम सूचना

श्रीमती वंदना डौडेरिया पत्नी श्री अजीत डाँडेरिया के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र. 89 एवं 106, स्थित महाराजपुर रोड से दूर, ग्राम महाराजपुर, तहसील जौरा एवं जिला मुरैना (म.प्र.) है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.45 (चंबल वार्ड) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र. 1082 ग्राम महाराजपुर का भाग है एवं जिराका क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :-पूर्व में रास्ता 20 फुट चौड़ा, पश्चिम में रास्ता 20 फुट चौड़ा, उत्तर में भूखण्ड क्र.88, 107 सरिता एवं सीमा का एवं दक्षिण में भूखण्ड क्र.90, 105 भवन मुस्लिम है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री गजेन्द्र सिंह एवं श्री विष्णु सिंह पुत्रगण श्री हरिशंकर के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा सम्पत्ति 3000 वर्गफुट एरिया श्रीमती सुमन कौशिक पत्नी श्री अजय कुमार कौशिक को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 25792018ए1037977 दिनांक 17.01.2018 से विक्रय की गई। श्रीमती सुमन कौशिक द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती चंदना डाँडेरिया पत्नी श्री अजीत डडिरिया को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी25792023ए 11681584 दिनांक 31.03.2023 से विक्रय की गई। श्रीमती वंदना डाँडेरिया द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान मैसर्स बोलामण्डलम इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फायनेंस कं. लि. (सी.आई.एफ.सीएल) ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्त्य स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हित निहित होने अथवा किसी प्रकार की आपत्ति होने पर मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात्त हर प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार के विरूद्ध प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृष्या सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

कान्यकुब्ज ब्राहम्ण समाज महासभा ग्वालियर की मासिक बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 20 जुलाई. कान्यकुब्ज ब्राहम्ण समाज महासभा ग्वालियर की एक बैठक गत दिवस चेतकपुरी में कार्यकारी अध्यक्ष अजय मिश्रा के निवास पर संपन्न हुई। बैठक में समाज हित में कार्य करने , गरीबों की समुचित सहायता करने पारिवारिक गोठ का आयोजन करने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता संरक्षक स्वामी हरिहरानंद ने की। बैठक में प्रतिमाह होने वाली बैठक को नियमित जारी रखने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में आरएन शुक्ला, अभिषेक द्विवेदी, प्रवीण दुबे, संतोष अवस्थी, दीपेन्द्र अवस्थी, पवन शर्मा, अजय मिश्रा, गरूणध्वज दुबे, विमल पाठक, संयुक्त अध्यक्ष अनुज पाठक अजय कुमार दीक्षित , महामंत्री धीरेन्द्र तिवारी , संदीप मिश्रा, अंकुर पांडे, यश मिश्रा आदि मौजूद रहे।

कार्यालय डिवीजनल कमाण्डेन्ट होमगार्ड ग्वालियर एवं चम्बल संभाग

फोन-07512490961/7049163361/ई-मेल-divhgwalior@gmail.com

क्रमांक/3/345/निविदा/2026 / ग्वालियर दिनांक 17-7-26

// ई-निविदा आमंत्रण सूचना //

कार्यालय डिवीजनल कमान्डेन्ट होमगार्ड ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के जिलों के होमगार्ड विभाग के भण्डार की निष्प्रयोज्य घोषित शासकीय सामग्री की घोष विक्रय नीलामी दिनांक 28-07-2026 मंगलवार को दोपहर : 12:00 बजे स्थानीय होमगार्ड लाईन बहोड़ापुर ग्वालियर पर की जावेगी। निष्प्रयोज्य घोषित सामग्री में कम्बल, जर्सी, टोपी, मोजे, ग्रेट कोट, आदि ऊनी वस्त्र एवं पेन्ट कमीज, मच्छरदानी, बरसाती, दरी आदि सूती वस्त्रों के अलावा किट बॉक्स, एवं वाहनों के निष्प्रयोज्य पार्ट्स आदि नीलाम किये जाने है ।

नीलामी की शर्तें :

1/ बोली लगाने वाले को रूपये 10000/- बतौर अग्रिम दिनांक 28-07-2026 को नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व जमा कराने होगें।
2/ सरकारी कीमत ऑफसेट प्राइज से अधिक मूल्य की बोली लगाने पर ही बोली समाप्त की जावेगी अन्यथा नीलामी स्थगित कर दी जावेगी ।
3/ नीलामी शुदा सामग्री पूर्ण भुगतान देकर नीलामी की तिथि को ही उठानी होगी।
4/ नीलामी की जाने वाली सामग्री को नीलामी के दिन होमगार्ड लाईन में बोली लगाने से पूर्व जहां है जैसा है हाल में देखा जा सकेगा ।
5/ नीलामी को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार नीलामी कमेटी को होगा ।
6/ नीलामी हेतु आवेदन उसी दिन प्रात: 11:00 बजे से लेकर 12:00 बजे तक ही लिये जायेगें, उसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
7/ बोली लगाने वाले क्रेतागण नीलामी कार्यवाही में भाग लेने से पूर्व (आधार कार्ड, पेनकार्ड, वोटर कार्ड) की मूल प्रति मिलान हेतु एवं छायाप्रति स्वंय के हस्ताक्षरयुक्त जमा करायेगें ।

G-15942/26

(एम.एस. चौहान)
डिवीजनल कमाण्डेन्ट
होमगार्ड्स ग्वालियर एवं चम्बल संभाग

आम सूचना

आप जन साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार AU SMALL FINANCE BANK, CITY CENTRE BRANCH, GWALIOR, M.P., के द्वारा वर्णित अचल संपत्ति स्थित मौजा बडफरा, पटवारी हल्का क्रमांक 14, सर्कल क्र.1, खसरा क्रमांक 859/2, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना कुल क्षेत्रफल : 500 वर्गफुट है, जिसकी चतुर सीमा निम्न प्रकार है : पूर्व में- राकेश सिंह कि भूमि, पश्चिम में- 20 फूट चौड़ा रास्ता, उत्तर में- भूमि स्वामी की भूमि, दक्षिण में- सुरेन्द्र वगैरा कि भूमि है, श्रीमती रश्मि देवी पत्नी श्री भूरी सिंह निवासी : ग्राम महेराकी, अम्बाह, बरेह, मुरैना के स्वत्व, स्वामित्व कि संपति है, जो ईई श्रीमती रश्मि देवी ने जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक MP27IGR17882025A100883465, दिनांक : 30-09-2025 से श्रीमती ललिता पत्नी श्री करू ओझा निवासी : वार्ड क्रमांक : 01, ग्राम देवहँस का पूरा, अम्बाह, पोरसा, रतंबसाई, मुरैना (म.प्र.) से क्रय कर प्राप्त की थी। यहकि, उक्त वर्णित संपत्ति श्रीमती ललिता ने जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक MP25802023A12185887, दिनांक : 26-07-2023 से श्रीमती गंगादेवी पत्नी श्री राम भरोशी सिंह निवासी- ग्राम भरतपुर, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना जरिए मुख्तयारआम श्री राकेश सिंह पुत्र श्री रामभरोसी सिंह निवासी- ग्राम भरतपुर, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना से क्रय कर प्राप्त की थी। यहकि, उक्त वर्णित विक्रय पत्र क्रमांक : MP25802023A12185887, दि. 26.07.2023 का मूल दस्तावेज कहीं खो गया है। उक्त वर्णित संपत्ति पर श्रीमती रश्मि देवी द्वारा AU SMALL FINANCE BANK में साम्य बंधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अत : जिस किसी भी व्यक्ति को श्रीमती रश्मि देवी के स्वत्व, स्वामित्व पर हस्तक्षेप हो या पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक MP25802023A12185887, दि. 26-07-2023 का मूल दस्तावेज मिले तो स्वयं मेरे कार्यलय या श्रीमती रश्मि देवी को अथवा AU SMALL FINANCE BANK, CITY CENTRE BRANCH पर उपस्थित होकर आज दिनांक : **21-07-2026** से सात दिन में मूल दस्तावेज सौंप दे, तत्पश्चात आपका हस्तक्षेप अमान्य होगा तथा उक्त मियाद पश्चात उक्त वर्णित संपत्ति उपरोक्त वर्णित बैंक में सम्य बंधकित की जावेगी। **दिनांक 20/07/2026**

प्रेषक- **संस्कार शर्मा** (अधिवक्ता) मप्र उच्च न्यायालय ग्वालियर
कार्यालय- 5-बी, सतीश निवास, अशोक कॉलोनी
खासगी बाजार लश्कर ग्वालियर **मो. 9074602044**

आम सूचना

श्री दीपक सिकरवार पुत्र श्री वीरेन्द्र सिकरवार के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड स्थित पुलिस स्टेशन के पीछे, कृष्णा विहार कॉलोनी, ग्राम जैतपुर नूराबाद, तहसील बामौर एवं जिला मुरैना (म.प्र.) में है जो भूमि सर्वे क्र.04 ग्राम जैतपुर नूराबाद का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है-पूर्व में रास्ता, पश्चिम में कृषि भूमि दीगर, उत्तर में भूखण्ड क्र.34 एवं दक्षिण में भूखण्ड क्र.32 है। उक्त सम्पत्ति पूर्व में श्री रामाख्यार सिंह पुत्र श्री घमण्डी सिंह गुर्जर द्वारा श्रीमती बेबी सिकरवार पत्नी श्री वीरेन्द्र सिकरवार को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी25792023ए 12074398 दिनांक 03.07.2023 से विक्रय की गई। श्रीमती बेवी सिकरवार का स्वर्गवास दिनांक 25.09.2023 को हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री दीपक सिकरवार पुत्र श्री वीरेन्द्र सिकरवार उनकी सम्पत्त के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्री दीपक सिकरवार द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान पिरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग फायनेंस लि. शाखा ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं श्रीमती बेबी सिकरवार के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

IDFC FIRST Bank

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निदेशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	145725225	संपत्ति के बदले ऋण	13-Jul-2026	11,73,705.98/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम: 1. सोनू गुप्ता 2. नरेश गुप्ता 3. गायत्री गुप्ता

संपत्ति का पता: वह पूरी प्रॉपर्टी/प्लॉट जिसका एरिया 25 X 40 = 1000 वर्ग फुट है, जो सर्वे नंबर 320 का हिस्सा है और गांव: हमीरपुर, पटवारी हल्का नंबर 23, R.N.M.: दतिया, तहसील और जिला: दतिया, मध्य प्रदेश-475661 में स्थित है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: विक्रेता की जमीन, पश्चिम: गीता रानी का प्लॉट, उत्तर: कमल सिंह की जमीन, दक्षिण: 20 फीट चौड़ी सड़क।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 21.07.2026
स्थान: मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)